



रिंग | 3976 - II-15

समक्ष श्रीमान राजस्व मंडल मध्यप्रदेश गवालियर

चरन तनय प्रेमनारायण सौर (आदिवासी)

निवासी राधापुर तहसील ओरछा जिला टीकमगढ
हाल निवासी गोडू कम्पाऊड झारी तह. व जिला
झासी उत्तरप्रदेश

आवेदक

1/5 विरुद्ध

रामसेवक तनय चउआ सौर (आदिवासी)

निवासी राधापुर तहसील ओरछा जिला टीकमगढ म.प्र.

अनावेदक

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी निवाडी के
प्रकरण क्रमांक 01 / अपील वर्ष 15-16 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2015 से परिवेदित होकर
यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है।

1. यह कि प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा अनावेदक से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र
के माध्यम से भूमि क्य की थी जिसके नामांत्रण हेतु आवेदन पत्र विचारण न्यायालय के
समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उसे निरस्त किये जाने से और उसकी अपील अनुविभागीय
अधिकारी द्वारा बिना किसी विधिक आधार पर अस्वीकार किये जाने पर यह निगरानी विधिवत
रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि विवादित भूमि खसरा नं. 1/3 रकवा 0.400 आरे लगान 1.00 रुपया रिथर ग्राम
राधापुर तहसील ओरछा अनावेदक के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी एवं अनावेदक उक्त
भूमि का मालिक व स्वात्वाधिकारी था एवं राजस्व अभिलेख में से इस बात की कोई प्रतिवेदित
नहीं थी कि उक्त भूमि विक्रय से प्रतिबंधित है न ही विचारण न्यायालय तहसीलदार को इस
तथ्य की जांच करने की अधिकारिता प्राप्त थी यदि कोई त्रुटि थी तो उन्हें अपना प्रतिवेदन
श्रीमान कलेक्टर टीकमगढ के समक्ष भेजा जाना था। किन्तु उन्होंने अनाधिकृत रूप से
रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांत्रण न कर गंभीर विधिक त्रुटि की है। जिसकी पुष्टि
अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी विश्लेषण के किये जाने से पारित दोनों आदेश रिथर
रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि अनावेदक जो विक्रयशुदा भूमि का मालिक काविज था उसके द्वारा विधिवत प्रतिफल
प्राप्त किये जाने और नामांत्रण किये जाने में अपनी सहमति दी थी। ऐसी रिथरि में रजिस्टर्ड
विक्रय पत्र के आधार पर नामांत्रण न कर विचारण न्यायालय ने जो निष्कर्ष दिया है वह
मान्य योग्य नहीं है। इसी प्रकार अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने

श्रीमान विवादित भूमि का नामांत्रण द्वारा दिया गया नामांत्रण
नं. 0424404113, 07582-244808
मा. 9424404113, 07582-244808

श्रीमान विवादित भूमि का नामांत्रण द्वारा दिया गया नामांत्रण
नं. 0753356556
मा. 9424404113, 07582-244808

श्रीमान विवादित भूमि का नामांत्रण द्वारा दिया गया नामांत्रण
नं. 0424404113, 07582-244808
मा. 9424404113, 07582-244808

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुबृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-3976/ए/15.....जिलाटीकमंगढ़.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-12-15	<p>(1) आवेदक के अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित उनके के तर्क सुने।</p> <p>(2) मैंने प्रकरण का आवलोकन किया एंव आवेदक के तर्कों पर विचार किया गया यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्र. 01 अप्रैल वर्ष 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 31/10/15 के विरुद्ध म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा -50 के तहत प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>(3) आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा क्र 1/3 रकवा 0.400 हे स्थित ग्राम राधापुर तह. ओरछा अनावेदक रामसेवक के नाम पर राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी हक में दर्ज थी तथा अनावेदक द्वारा उक्त भूमि का विक्रय आवेदक को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से किया गया था जिसके आधार पर आवेदक द्वारा नामांतरण हेतु एक आवेदन पत्र तहसीलदार ओरछा के समक्ष प्रस्तृत किया गया जिससे तहसीलदार द्वारा बिना किसी आधार निरस्त कर दिया गया जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अप्रैल प्रस्तुत की गयी जिसे भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि विपरीत रूप से निरस्त कर दिया गया है। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।</p> <p>(4) आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि अनावेदक को नामांतरण आवेदक के पक्ष में किए जाने पर किसी भी प्रकार की कोई अपत्ति नहीं है जिसके समर्थन में अनावेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। आवेदक का तर्क है कि वह एक बोनाफाइड पर्सेचर विथ कनसीडरेंस है जिस कारण म.प्र.भू राजस्व संहिता की धारा 110 के अंतर्गत वह नामांतरण कराए जाने का अधिकारी है तथा राजस्व अधिकारियों का भी कर्तव्य है कि वह रजिस्टर्ड</p>	<p>for</p>

R-3976/II/15 टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण करें। आवेदक एवं अनावेदक एक ही जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं जिस कारण से म.प्र.भू. राजस्व संहिता के प्रावधान अनुसार भूमि क्रय विक्रय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक नहीं है। इस कारण उन्होंने प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किए जाने का निवेदन किया है।</p> <p>(5) मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि आवेदक द्वारा वादग्रस्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी तथा राजस्व न्यायालय को स्वत्व का निराकरण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जिस कारण से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक का नामांतरण तहसीलदार ओरछा को स्वीकृत किया जाना चाहिए था। आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं न्यायिक दृष्टिकोणों के परिपेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार ओरछा द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाना नहीं पाता हूँ।</p> <p>(6) उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-10-2015 एवं तहसीलदार ओरछा का आदेश दिनांक 22-3-14 निरस्त किया जाकर तहसीलदार ओरछा को निर्देशित किया जाता है कि वे आवेदक को निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के परिप्रेक्ष्य में नामांतरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	 <p>सरदार सिंह</p>